

उच्च न्यायालय ने देनदारों के यात्रा के अधिकार को बरकरार रखा

प्रलिस के लिये:

[मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21, सर्वोच्च न्यायालय, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, अनुच्छेद 14, भारतीय रजिस्ट्रार बैंक, मनी लॉन्ड्रिंग](#)

मेन्स के लिये:

भारत में ऋण चूककर्त्ताओं को नियंत्रित करने वाली रूपरेखा एवं उपायों का उद्देश्य ऋणदाताओं और उधारकर्त्ताओं के हितों को संतुलित करना है।

[स्रोत :इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ऋण चूककर्त्ताओं के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) का अनुरोध नहीं कर सकते हैं।

- न्यायालय ने PSB को ऐसा करने का अधिकार देने वाले केंद्र सरकार के **कार्यालय ज्ञापन (OM)** को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ये नीतियाँ संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

नोट:

- LOC एक परपितर है जिसका उपयोग भारत में पुलिस अधिकारियों द्वारा यह जाँचने के लिये किया जाता है कि यात्रा करने वाला व्यक्ति पुलिस द्वारा वांछित है अथवा नहीं।

उच्च न्यायालय ने देनदारों की यात्रा पर प्रतबंध लगाने वाले बैंकों के वरिद्ध नयिम क्यों बनाया?

- **वधिकि चुनौतियाँ:**
 - 27 अक्टूबर, 2010 से कार्यालय ज्ञापन (OM) के आधार पर गृह मंत्रालय (MHA) के आवरजन ब्यूरो द्वारा LOC जारी किये गए थे।
 - सितंबर 2018 में OM में संशोधन प्रस्तुत किये गए, जिससे व्यक्तियों को वदिश यात्रा करने से रोकने के लिये LOC जारी करने को अधिकृत किया गया, **यदि उन देनदारों का प्रस्थान देश के "आर्थिक हति" के लिये हानिकारक था।**
 - इसने **PSB अधिकारियों (प्रबंध नदिशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों)** को डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं के वरिद्ध LOC जारी करने के लिये आवरजन अधिकारियों से अनुरोध करने का अधिकार दिया।
 - The default borrowers included **not only the borrowers but also the डिफॉल्ट देनदारों में न केवल देनदार बल्कि ऋण चुकाने वाले गारंटर और करज़ में डूबी कॉर्पोरेट संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी या नदिशक भी शामिल थे।**
- **याचिकाकर्त्ताओं के तर्क:**
 - याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि OM मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें [अनुच्छेद 21](#) के तहत **गरमि के साथ जीवन का अधिकार** भी शामिल है।
 - उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने [भारतीय रजिस्ट्रार बैंक \(RBI\)](#) द्वारा वनियमि सार्वजनिक और नजि बैंकों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण बनाया है।
 - याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि किसी **PSB का "वतितीय हति" "भारत के आर्थिक हति" के समान नहीं हो सकता है।**
- **केंद्र का प्रस्तुतीकरण:**
 - गृह मंत्रालय ने तर्क दिया कि परपितरों में स्थापित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, **जीवन या व्यक्तगित स्वतंत्रता से वंचित** करने के लिये आवश्यक "जाँच और संतुलन" शामिल थे।
- **न्यायालय का रुख:**
 - न्यायालय ने **वरिज चेतन शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2024** मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि **व्यक्ति को वदिश यात्रा की**

अनुमति नहीं मिलने के कारण सरकार ऋण वसूली साबित करने में वफिल रही।

- इसने कानूनी कार्यवाही को दरकिनार करने के लिये एक मज़बूत रणनीति के रूप में LOC के उपयोग की आलोचना की, जसि PSB असुवधाओं और परेशानियों के रूप में देखते हैं।
 - इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कविदेश यात्रा के मौलिक अधिकार को सरकारी कानून के बना कार्यकारी कार्रवाई द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।
 - न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि PSB को ऋण वसूली के लिये एकतरफा शक्तियाँ प्रदान की गईं, जसि कारण वे प्रभावी ढंग से न्यायाधीश और प्रवर्तक बने। इसमें यह समझ से परे था कि बैंक अधिकारियों को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों के समान दर्जा दिया गया था।
 - न्यायालय ने पाया कि यदि कोई उधारकर्ता पूरी तरह से गैर-PSB के साथ लेनदेन करता है, तो कोई LOC जारी नहीं की जा सकती है, लेकिन PSB की एक भागीदारी भी जोखिम उत्पन्न करती है।
 - न्यायालय ने PSB और नज्दी बैंक कर्ज़दारों के बीच भेदभाव को मनमाना बताते हुए खारज़ि कर दिया। न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत अवैध मानते हुए LOC प्रावधान में केवल PSB को शामिल करने को मनमाना माना।
- फैसले के नहितार्थः
- यह नरिणय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी मौजूदा प्रतबंध आदेशों को प्रभावित नहीं करता है।
 - बैंक अभी भी व्यक्तियों को वदेश यात्रा से रोकने के लिये न्यायालयों या न्यायाधिकरणों से आदेश मांग सकते हैं, लेकिन केंद्र स्तुिक आउट सर्कुलर जारी करने के लिये नहीं कह सकते हैं।
 - बैंक ऋण की वसूली के लिये भगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत शक्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
 - यह फैसला केंद्र सरकार को संवधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप उचित कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

भगोडा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:

- यह उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को ज़ब्त करने का प्रयास करता है, जनिहोंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिये देश छोड़ दिया है या अभयिोजन का सामना करने के लिये देश लौटने से इनकार कर दिया है।
- यह अधिकारियों को 'भगोडे आर्थिक अपराधी' की अपराध की आय तथा संपत्तियों की गैर-दोषी-आधारति कुरकी एवं ज़बती का अधिकार देता है, जसिके वरिद्ध भारत में कसि भी न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध के बारे में गरिफ्तारी वारंट जारी किया गया है और जसिने आपराधिक मुकदमे या न्यायिक प्रकरियों से बचने के लिये देश छोड़ दिया है।
 - भगोडा आर्थिक अपराधी (FEO): एक ऐसा व्यक्त जसिके खलिाफ अनुसूची में दर्ज़ कसि अपराध के संबंध में गरिफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम-से-कम 100 करोड रुपए है।
- अधिनियम में सूचीबद्ध अपराधों में सरकारी स्टांप या मुद्रा की जालसाज़ी, चेक बाउंस, धन शोधन और लेनदारों को धोखा देने वाले लेनदेन शामिल हैं।

डफिल्टरस के कानूनी अधिकार क्या हैं?

- भारतीय रज़िर्व बैंक ने बैंकों और वतित कंपनियों को जानबूझकर चूक करने वालों या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत खातों पर समझौता नपिटान या तकनीकी राइड-ऑफ करने का नरिदेश दिया।
 - इरादतन चूककर्त्ता (जान बूझकर ऋण न चुकाने वाला) अथवा धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को अब उनके खलिाफ की गई आपराधिक कार्यवाही के कारण ऋणदाताओं के पूरवाग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- जनि उधारकर्त्ताओं ने समझौता नपिटान कर लिया है, वे 12 माह की न्यूनतम वरिाम (कूलगि) अवधि के पश्चात नए ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं।
 - वनियमति बैंकों और वतित कंपनियों के पास अपनी बोर्ड-अनुमोदति नीतियों के अनुरूप उच्च वरिाम (कूलगि) अवधि नरिधारति करने का अधिकार है।
- भारत में डफिल्टरों के कानूनी अधिकारों में नोटसि प्राप्त करने का अधिकार, उचित ऋण वसूली प्रथाएँ, शकियत नवारिण, कानूनी सहायता लेना और नषिपक्ष करेडिट रपिोरटगि शामिल है।

?????? ???? :

प्रश्न. भारत में ऋण चूककर्त्ताओं को नरिंतरति करने वाले कानूनी और नयिमक ढाँचे पर चर्चा कीजिये। डफिल्टर मामलों से नपिटने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका और ऋण वसूली में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वरिश्लेषण कीजिये।

प्रश्न. ऋण चूक के मुद्दे से नपिटने के दौरान बैंकगि सुधार व्यापक वतितीय समावेशन लक्ष्यों के साथ कसि प्रकार संरखण कर रहे हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थिति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/high-court-upholds-debtors-right-to-travel>

